भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1488

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

आतंकवादी मुठभेड़ में सुरक्षा कार्मिकों की मृत्यु

†1488. श्री लक्ष्मी नारायण यादव :
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आतंकवादी मुठभेड़ों में राज्य-वार कितने भारतीय जवान शहीद हुए;
(ख) शहीद जवानों के परिवारों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गईं; और
(ग) कितने जवानों के परिवारों को अभी तक उक्त सुविधाएं नहीं प्रदान की गई हैं और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के अंदरूनी भागों और जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी मुठभेड़ों में शहीद हुए भारतीय सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

(ख): केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के उन कार्मिकों के निकटतम संबंधी को 15 लाख रु. का एक मुश्त अनुग्रह मुआवजा अनुमेय है, जो विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत अपनी वास्तविक आधिकारिक ड्यूटियों के निर्वहन के दौरान वीरगति को प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त मृतक का निकटतम संबंधी उदारीकृत परिवार पेंशन अर्थात आहरित अंतिम वेतन प्राप्त करने का भी हकदार होता है। इसके अलावा, अनुग्रह भुगतान के साथ-साथ

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मुआवजा संबंधी अपनी नीति मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय की अलग-अलग योजनाओं जैसे सुरक्षा संबंधी व्यय योजना आदि के तहत भी मुआवजे का भुगतान किया जाता है। इसी प्रकार, रक्षा बलों के पास रक्षा कार्मिकों के संबंध में मुआवजा संबंधी अपनी स्वयं की प्रणाली मौजूद है।

इसके अतिरिक्त, आतंकवाद से लड़ने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के मृतक कार्मिकों के निकटतम संबंधियों के लिए अनुकंपा के आधार पर समूह 'ग' और 'घ' में 5% रिक्तियां आरक्षित हैं। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के मृतक, सेवानिवृत्त और सेवारत कार्मिकों के बच्चों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के कार्मिकों के बच्चों के लिए एमबीबीएस और बीडीएस सीटें भी आरक्षित होती हैं। दिनांक 18.09.2006 से केन्द्रीय पुलिस कैंटीन की सुविधा आरंभ की गई है ताकि सस्ते दामों पर वांछनीय स्थलों पर हर प्रकार की तथा विविध वस्तुएं मुहैया कराई जा सकें। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के निःशक्त कार्मिकों सहित अन्य कार्मिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण और पुनर्वास हेतु दिनांक 17.05.2007 को कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड की स्थापना की गई थी।

(ग): इस प्रकार का कोई मामला अब तक सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

<u>अनुलग्नक के पृष्ठ 1 का 1</u>
<u>लोक सभा अता. प्रश्न संख्या 1488</u>

(क) : विगत 03 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के अंदरूनी भागों में आतंकी हमलों में शहीद हुए सुरक्षा कार्मिक:

<u>2015</u>

घटना	तारीख	शहीद हुए सुरक्षा कार्मिक
पंजाब के गुरदासपुर जिले में आतंकी हमला	27.07.2015	04

<u>2016</u>

घटना	तारीख	शहीद हुए सुरक्षा कार्मिक
पंजाब के पठानकोट जिले में आतंकी हमला	02.01.2016	07

(ख) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में आतंकी हमलों में शहीद हुए सुरक्षा कार्मिक :

वर्ष	शहीद हुए सुरक्षा कार्मिक
2013	53
2014	47
2015	39
2016 (17 अप्रैल तक)	07